196

खान एवं खनन विधेयक 2011 के बारे में–

इस संबंध में वनवासी कल्याण आश्रम केंद्र सरकार से मांग करता है कि:

1. देश के सर्वस्पर्शी एवं सतत विकास के लिए खान एवं खनिज विधेयक 2011 में यह प्रावधान किया जाये कि कोयला एवं केप्टिव कोल ब्लॉक सहित देश की सभी खनन ईकाइयां अपने देय कर चुकाने के बाद बचे लाभों में से 26 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विस्थापितों– प्रभावितों को चुकाए।

2. प्रस्तावित जिला खनन प्रतिष्ठानों में यह लभांश प्राप्त होने के बाद वे इसमें से 30 प्रतिशत राशि सीधे प्रभावित लोगों के बैंक खातों में जमा कराएं, 65 प्रतिशत राशि का उपयोग खनन क्षेत्र के ढांचागत विकास (सड़कें, बिजली, संचार साधन आदि) और सामाजिक सेवा सुविधाओं (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता आदि) के लिए करें और शेष बची 5 प्रतिशत राशि अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यय करें।

3. इस कानून को 3 जनवरी 2011 की पूर्व तिथि से लागू किया जाए जब इसे सिद्धांततः स्वीकृत कर लिया गया था।

4. खनन कार्य पूरा हो जाने के बाद खान को ठीक से बंद करने और भूमि उपयोग में आ सके इस स्थिति में करके यह भूमि मूल भू–स्वामियों को लौठाई जाए। ऐसा पहले से ही कानूनी प्रावधान तो है, परंतु इसका कहीं भी पालन ठीक से नहीं हो रहा है। यह सुनिि चत करने के लिए प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान किया जाए कि प्रत्येक खनिज इकाई अपने लाभों के सुनिश्चित भाग (3–4 प्रतिशत) से प्रतिवर्श संचित कोष बनाए। इस राशि का उपयोग जिला अधिकारी की अनुमति से हो।

4/10/14